प्रपत्र 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2575

योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र भरा जाना होता है। इसके लिए एफ.आर.ए. (Forest Right Act) प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि जिला कलेक्टर से आरक्षित करवाकर फार्म–ए पार्ट–1 पूर्ण कर म.प्र. वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) (नोडल अधिकारी) को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना होता है। नोडल अधिकारी को ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पार्ट–1 को हार्ड कापी में संबंधित वन–मण्डलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है ।

वनमण्डलाधिकारी द्वारा उक्त आरक्षित भूमि का निरीक्षण राजस्व एवं विभागीय अधिकारियों के साथ किया जाकर तदानुसार पार्ट–2 पूर्ण कर प्रकरण मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाइन एवं हार्डकापी में भेजा जाता है। जिसे मुख्य वन संरक्षक द्वारा नोडल अधिकारी को भेजा जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा म.प्र. शासन, वन विभाग से प्रशासकीय अनुमोदन किया जाक प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रथम चरण स्वीकृति) के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है ।

सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उसमें अधिरोपित शर्तों के पालन उपरान्त प्रकरण पुनः वनमण्डलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाता है एवं नोडल अधिकारी द्वारा अनुशंसा कर प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को औपचारिक स्वीकृति (द्वितीय चरण स्वीकृति) हेतु भेजा जाता है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात म.प्र.शासन, वन विभाग द्वारा अंतिम स्वीकृति जारी की जाकर प्रभावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन के उपरांत जल संसाधन विभाग को भूमि का हस्तांतरण किया जाता है।